

वविाह हेतु कानूनी आयु में बढ़ोतरी

यह एडिटरियल 06/01/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Minding The Gender Gap" लेख पर आधारित है। इसमें वविाह के लिये कानूनी आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किये जाने के पक्ष और वपिकष में दिये जा रहे तरकों की चर्चा की गई है।

संदर्भ

पुरुषों और महिलाओं की वविाह योग्य आयु में एकरूपता लाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव नश्चिति रूप से 'सतत् विकास लक्ष्य-5' को साकार करने की दशा में एक प्रगतशील कदम है, जहाँ राष्ट्र-राज्यों से लैंगिक समानता की प्राप्ति हेतु नीति-नरिमाण की अपेक्षा की गई है।

लेकनि केवल अचछा इरादा ही अनुकूल परिणामों की गारंटी तो नहीं देता। व्यापक सामाजिक समर्थन के बनिा लागू किये गए कानून प्रायः अपने उद्देश्यों की पूर्ति में तब भी वफिल सदिध होते हैं जब उनके घोषित उद्देश्य और तरक व्यापक सार्वजनिक भलाई का लक्ष्य रखते हों।

भारत और न्यूनतम वविाह योग्य आयु

- **वर्तमान कानून:** हदुओं के लिये, [हदु वविाह अधनियिम, 1955](#) वविाह हेतु लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष नरिधारति करता है।
 - इस्लाम में यौवन (Puberty) प्राप्त कर चुके नाबालगि के वविाह को वैध माना जाता है।
 - [वशिष वविाह अधनियिम, 1954](#) और [बाल वविाह नशिध अधनियिम, 2006](#) भी महिलाओं और पुरुषों के लिये क्रमशः 18 और 21 वर्ष की आयु को वविाह हेतु न्यूनतम आयु के रूप में नरिधारति करता है।
- **लगि अंतराल को कम करने हेतु भारत के प्रयास:** भारत ने वर्ष 1993 में 'महिलाओं के वरिद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर कन्वेंशन' (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- CEDAW) की पुष्टि की थी।
 - इस कन्वेंशन का अनुच्छेद-16 [बाल वविाह](#) का कठोरता से नशिध करता है और सरकारों से महिलाओं के लिये न्यूनतम वविाह आयु का नरिधारण करने एवं उन्हें लागू करने की अपेक्षा करता है।
 - वर्ष 1998 से भारत ने वशिष रूप से मानव अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन कया है, जसि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 जैसे अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप तैयार कया गया है।
- **न्यूनतम आयु नरिधारति करने के कारण:** कानून द्वारा वशिष रूप से बाल वविाह को गैर-कानूनी घोषित करने और नाबालगिों के साथ दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिये वविाह की न्यूनतम आयु नरिधारति की गई है।
 - बाल वविाह महिलाओं को अल्पायु गर्भावस्था (Early pregnancy), कुपोषण और हसिा (मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक) का शकिार बनाता है।
 - अल्पायु गर्भावस्था बाल मृत्यु दर में वृद्धि के साथ भी संबद्ध है और माता के स्वास्थ्य को प्रभावति करती है।

वविाह योग्य कानूनी आयु बढ़ाने के पक्ष में तरक

- **बुनयादी अधिकारों का संरक्षण:** अल्पायु वविाह और बाल वविाह के वरिद्ध महिलाओं की सुरक्षा वस्तुतः उनके बुनयादी अधिकारों की सुरक्षा है और यह महत्त्वपूर्ण कदम देश की आधी आबादी के लिये व्यापक अधिकार-आधारति ढाँचा प्रदान करने हेतु संबधति वधिायी ढाँचे में परविरतन को बल देगा।
- **लगि समानता लाना:** वशिष वविाह अधनियिम की धारा 2(a) महिलाओं के लिये 18 वर्ष जबकि पुरुषों के लिये 21 वर्ष की वविाह योग्य कानूनी आयु घोषति करती है, लेकनि यह भेद रखने का कोई उचित तरक मौजूद नहीं है।
 - जब पुरुषों और महिलाओं के लिये मतदान करने की आयु समान हो सकती है, उनके लिये सहमति, सवेच्छा और वैध रूप से कसिी अनुबंध में प्रवेश करने की आयु भी समान है, तो फरि वविाह के लिये समान आयु क्यों नहीं नरिधारति की जा सकती।
- **समान कानूनों से समानता की उत्पत्ति:** समान कानूनों से समानता की उत्पत्ति होती है और सामाजिक परविरतन कानूनों के पूर्ववर्ती और उनके परिणाम दोनों ही होते हैं।
 - प्रगतशील समाजों में कानून में परविरतन सामाजिक धारणाओं में परविरतन लाने की भी वृहत संभावना रखता है।

- **महिला सशक्तीकरण को सबल करना:** महिलाओं के विकास के कई संकेतक होते हैं जिनमें उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में वृद्धि एक प्रमुख संकेतक है।
 - इसके अलावा, **उज्ज्वला, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जन-धन योजना** जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सबसे बड़े वर्ग के रूप में प्रकट किया है।
 - विवाह योग्य आयु में समानता के प्रवेश से महिला सशक्तीकरण को और बढ़ावा मलिया।

विवाह योग्य कानूनी आयु बढ़ाने के वपिक्ष में तरक

- **आरथकि रूप से आशरति महिलाओं को लाभ की संभावना नहीं:** विवाह योग्य कानूनी आयु में वृद्धि का उद्देश्य भावना के स्तर पर तो अचछा दखिता है, लेकिन सामाजिक जागरूकता में वृद्धि और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार कयि बनिा यह महिलाओं को अधिक लाभ नहीं दे सकेगा। वस्तुस्थिति यह है कयिवा महिलाएँ अभी तक आरथकि रूप से स्वतंत्र एवं सबल नहीं हो सकी हैं और पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव में रहते हुए अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उपभोग करने में असमर्थ हैं।
- **कड़े कानूनों के बावजूद बाल विवाह का उच्च प्रचलन:** 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पर नषिध रखने वाला कानून कसिी-न-कसिी रूप में 1900 के दशक से ही प्रवर्तति रहा है, फरि भी वर्ष 2005 तक बाल विवाह पर लगभग कोई रोक नहीं लगी थी और 20-24 आयु वर्ग की महिलाओं में से लगभग आधी महिलाओं का विवाह न्यूनतम कानूनी आयु से पहले हो गया था।
- **अल्पायु विवाह का कोई आपराधिक रकिॉर्ड नहीं:** भले ही प्रत्येक पाँच में से एक विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले संपन्न हुआ हो, लेकिन देश के आपराधिक रकिॉर्ड में अधिनियम के उल्लंघन का कोई उल्लेख शायद ही प्रकट हुआ हो।
- **बाल विवाह के उन्मूलन का कोई आश्वासन नहीं:** प्रभावति होने वाली विवाह योग्य आयु की महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है, जनिमें से 60% से अधिक का 21 वर्ष से पहले विवाह हो जाता है।
 - 18 वर्ष की आयु से पहले महिलाओं के विवाह का उन्मूलन कर सकने की असमर्थता इस बात का कोई आश्वासन नहीं देती कइस आयु को बढ़ाकर 21 कयि जाने से अल्पायु विवाह का उन्मूलन हो सकेगा।
- **माता-पति द्वारा कानूनों का दुरुपयोग:** महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार माता-पति प्रायः इस अधिनियम का दुरुपयोग अपनी इच्छा से विवाह करने वाली या बलात विवाह, घरेलू हसिा और शिक्षा सुविधाओं के अभाव से बचने के लयि भाग जाने वाली अपनी बेटयिों को दंडति करने के लयि करते हैं।
 - इस प्रकार, पतिसत्तात्मक व्यवस्था में अधिक संभावना यह है कआयु सीमा में परिवर्तन से युवा वयस्कों पर माता-पति की अधिकारति में और वृद्धि ही होगी।

आगे की राह

- **वस्तुनषिठ समानता सुनश्चिति करना:** जैवकि, सामाजिक या डेटा एवं शोध-आधारति—कोई भी तरक वैध विवाह में प्रवेश करने हेतु पुरुषों और महिलाओं के बीच आयु में असमानता को उचित नहीं ठहरा सकता है।
 - भारत ने वर्ष 1954 में वशिष विवाह अधिनियम के साथ नरिणय लयिा था कआयु एक वैध विवाह की बुनयिादी आवश्यकताओं में से एक होनी चाहयि। इस संबंध में समानता का नहीं होना एकमात्र दोष था जसिे अब बाल विवाह नषिध अधिनियम (PCMA), 2006 में संशोधन के माध्यम से दूर कयिा जा रहा है।
- **वंचति महिलाओं का सशक्तीकरण:** वंचति महिलाओं को सशक्त बनाने के लयि उनके प्रजनन अधिकारों का सम्मान कयिा जाना और अल्पायु विवाह की शकिार महिलाओं की बुनयिादी संरचनात्मक वंचनाओं को दूर करने हेतु अधिकाधिक नविश सुनश्चिति कयिा जाना आवश्यक है।
 - सरकार को समानता के मुद्दों को संबोधति करने में भी अधिक नविश करने की आवश्यकता है। उसे ऐसे उपाय करने होंगे जो वंचतियों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाए, उन्हें कॅरयिर परामर्श प्रदान करे और कौशल एवं जॉब प्लेसमेंट को प्रोत्साहति करे।
 - सार्वजनिक परिवहन सहति सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के वषिय को भी संबोधति करने की जरूरत है।
 - माता-पति में व्यवहार परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योकि वै ही अंततः अधकिांश महिलाओं के लयि विवाह संबंधी नरिणय लेते हैं।
- **महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना:** घोषति उद्देश्य को प्राप्त करने का एक अचछा (कति कठनि) तरीका यह होगा कबालकिाओं को अल्पायु गर्भधारण के खतरों के प्रता जागरूक बनाया जाए और उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार हेतु तंत्र प्रदान कयिा जाए।
 - महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रति कयिा जाना चाहयि, साथ ही यह सुनश्चिति कयिा जाना चाहयि कबालकिाएँ स्कूल या कॉलेज छोड़ने के लयि बाधय न की जाएँ।

अभ्यास प्रश्न: “यद्यपि महिलाओं की विवाह योग्य कानूनी आयु को बढ़ाना लैंगिक समानता प्राप्त करने की दशिा में एक प्रगतशील कदम है, लेकिन मौजूदा नीतगित ढाँचे और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना अधिक महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजयि।”